अपील संख्या 2017/00071 (227/2017)

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री जीतसिंह पुत्र दानसिह
2. दीदारसिह पत्र री राजेन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह } जाति जटसिख निवासीगण
3. सतविन्द्रकौर पत्नी स्व0 राजेन्द्रसिंह } नि0 सहजीपुरा, हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. गुरबक्शसिह पुत्र निधानसिह } जाति जटसिख निवासी सहजीपुरा
2. बिरजूसिंह पुत्र जग्गासिंह } तहसील व जिला हनुमानगढ
3. पाससिंह
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.05.2017 प्रकरण संख्या 249/2013 बअनवानी गुरबक्शसिंह आदि बनाम देवेन्द्रसिंह आदि द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

श्री रमेश चन्द्र जोशी, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीतसिह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक –14.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनाक 22.05.2017 के द्वारा पूर्व में दिनांक 30.07.2013 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के अन्तरण संबंधी अधिकारों को भारी ठेस पहुचाई

खरीदी गई थी एवं जीतसिंह पुत्र दानसिंह को वसीयत करदी अपीलाण्ट जीतसिंह के वारिसान हैं। वसीयत के आधार पर अमलदरामद हो चुका है। पक्षकारान के मध्य जीतसिंह बनाम जग्गासिह अनवानी दावा चला था। जसमें यह विवादग्रस्त भूमि शामिल नही थी। पूर्व का दावा राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ है। वर्तमान में घोषणा का दावा राजस्व मण्डल में जैरकार है। यह भूमि अपीलाण्टान को विरास्तन प्राप्त हुई व 50 वर्ष से अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के परिवार के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें हस्तक्षेप का करने का रेस्पोडेण्ट को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराघात होगा। पत्रावली वास्ते जवाब चल रही थी इस बीच अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलीधन निर्णय पारित कर दिया गया है। यदि प्रार्थी हाजिर नहीं था तो प्रार्थना–पत्र खारिज करना चाहिये था। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे और अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने आरआरडी 1974 दिनांक 343 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अमरसिंह लाऔलाद फौत हुआ था। अपीलाण्ट ने विवादग्रस्त भूमि को वसीयत से प्राप्त होना बताया है। यह वसीयत कहीं पर भी पत्रावली में पेश नहीं है। वसीयत 01.08.1979 की बताते हैं। खातेदारी की सनद 19633 दिनांक 25.07.1980 को जारी हुई थी। जिस समय वसीयत की गई उस समय गैर खातेदारी में भूमि थी जिसकी वसीयत नहीं हो सकती थी। अमरसिह द्वारा 30.04.1969 को एक लिखित की गई जिसके अन्दर वाग्रस्त आराजी को चारों भाईयों के कब्जे का एडमिशन है। इस लिखत में अपीलांटगण के पूर्वज दानसिंह की अंगूठा निशानी है। इस लिखत के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर सभी का हक व हिस्सा है। पूर्ववर्ती वाद अन्य भूमि से संबंधित था जिसका इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2008, आरआरडी 1990 पेज 598, आरआरटी 2016 (2) पेज 1084 आरआरडी 2016 पेज 580, व आरआरडी 2012 पेज 699 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र में दिनांक 30.07.2013 एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया। उसके बाद कालांतर में पत्रावली वास्ते जवाब चलती रही और दिनांक 19.04.2017 को वास्ते जवाब पत्रावली में दिनांक 31.05.2017 नियत की गई थी। लेकिन उक्त नियत दिनांक से पूर्व ही दिनांक 22.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प सहजीपुरा में पेशी में ली गई। इस आदेशिका में दिनांक 30.7.2013 को जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया है। इस आदेशिका में ''उभयपक्ष उपस्थित नही'' अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह आदेश दोनों को सुने बिना उनकी अनुपस्थिति में सरसरी तौर से कैम्प में निस्तारण किया है जो न्यायोचित नही है। अपीलाण्ट को सुने बिना एकपक्षीय पारित किया गया है। जो उचित प्रतीत नही होता है, जबकि अपीलाण्ट एक खातेदार काश्तकार है। निर्णय स्पीकिंग नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर भी कोई विचार नही किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आलोक मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 एवं 30.07.2013 खारिज किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.05.2019 को पेश हो। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/03/19

(मूलचन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official